न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 38 / 2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 जेठाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट, निवासी जोगेश्वर का कुआ 2 गजरो पुत्री हरजीराम पत्नी जुंजाराम जाति जाट निवासी गोदारासर, बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण।		1 हरजीराम पुत्र शिवदान 2 मगाराम पुत्र हरजीराम 3 श्रीमती हेमीदेवी पत्नी मगाराम जाति जाट निवासी जोगेश्वर कुआ, गरल तहसील बाड़मेर 4 तहसीलदार बाड़मेर 5 उपपंजीयक बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 207, 209 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादीगण।

निर्णय

दिनांक 19.02.2025

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 पूर्व पुरूष मूलाराम के वंशज है जो हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से शासित है। पूर्व पुरूष मूलाराम से उसके तीनों पुत्रों को जागीरकाल में विरासत में रकबा 269.10 बीघा भूमि प्राप्त हुई, जिसमे से 04.00 बीघा भूमि पंचायत भवन को समर्पित कर दी गई शेष रकबा 264.10 बीघा भूमि रही जिसमे वादीगण के दादा शिवदान का 1 / 3 हिस्सा था। शिवदान के फौत होने पर उसका 1 / 3 हिस्सा विरासत में उसके चार पुत्रों हरजी, सोना, प्रहलाद व हेमा को जरिये नामान्तकरण संख्या 71 के प्राप्त हुआ। कालान्तर में सोनाराम के फौत होने पर उसका हिस्सा जरिये नामान्तकरण संख्या 95 उनके सगे भाईयों हरजी, प्रहलाद व हेमा को प्राप्त हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम ग्राम जोगेश्वर कुआ में नामान्तकरण संख्या 131 के अनुसार खसरा संख्या 762 / 390 रकबा 14.06 बीघा, खसरा संख्या 764 / 390 रकबा 13.02 बीघा व खसरा संख्या 766 / 390 रकबा 01.04 बीघा कुल रकबा 28.12 बीघा भूमि दर्ज हुई। उक्त भूमि में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का सम्मान 1 / 4–1 / 4 हक व हिस्सा है। उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा रकबा 28.12 बीघा भूमि में से रकबा 17.04 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के प्रभाव में आकर प्रतिवादी संख्या 03 को पंजीबद्ध बेचान कर दिया गया। उक्त हस्तान्तकरण का वादीगण को ज्ञान नही था लिहाजा उक्त बेचान प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा जागेश्वर कुआ गरल के खसरा संख्या 762 / 390 रकबा 14.06 बीघा, खसरा संख्या 764 / 390 रकबा 13.02 बीघा व खसरा संख्या 766 / 390 रकबा 01.04 बीघा कुल रकबा 28.12 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1 / 4–1 / 4 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावे तथा रकबा [illegible] बीघा भूमि जो गिफ्ट पत्र संख्या 00586 दिनांक 05.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में पंजीबद्ध किया गया है है जो वादीगण के हितों की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.19 09:59:30 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ईकतरफा।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी संख्या 01 का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो वाद जिरह शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में स्वतंत्र गवाहन नवलाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी जोगेश्वर कुआ तथा स्वतंत्र गवाहन बालाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी जोगेश्वर कुआ द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो वाद मुख्य परीक्षा के शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 प्रस्तुत की जो प्रदर्श–01 है, पंजीबद्ध गिफ्ट पत्र संख्या 00586 दिनांक 05.02.2021 जो प्रदर्श–02 है, नामान्तकरण संख्या 69 जो प्रदर्श–03 है, नामान्तकरण संख्या 93 जो प्रदर्श–04 है, नामान्तकरण संख्या 108 जो प्रदर्श–05 है, नामान्तकरण संख्या 131 स्वीकृत दिनांक 27.05.2015 जो प्रदर्श–06 है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज नामान्तकरणों तथा जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076, राजस्व नक्शा का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि प्रमाणित है। पैतृक खातेदारी की भूमि पर वादीगण का भी हक व हिस्सा जन्म से है। वादग्रस्त आराजी में वादी 01 व 02 का भी हिस्सा जन्म से सृजित हो गया था। पैतृक सम्पति होने एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत विधिक वारिसान होने के कारण पिता के जीवनकाल में पुत्र–पुत्रियों का हक व हिस्सा घोषित करवा सकते है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को पंजीबद्ध गिफ्ट पत्र संख्या 00586 दिनांक 05.02.2021 किया है जो दुसरे वारिसानों को पैतृक सम्पति में हिस्सा नही दिये जाने की नियत से सम्पादित किया जाता प्रतीत होता है। पैतृक सम्पति में जीवित संतानों के हक हिस्से जन्म से सृजित होने के कारण एक पक्ष में गिफ्ट या बेचान किया गया विधि विरूद्ध है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया मौजा जागेश्वर कुआ पटवार हल्का गरल के ख़सरा संख्या 762/390 रकबा 14.06 बीघा, खसरा संख्या 764/390 रकबा 13.02 बीघा व खसरा संख्या 766/390 रकबा 01.04 बीघा कुल रकबा 28.12 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित खातेदारी का घोषित किया जाता है तथा गिफ्ट पत्र संख्या 00586 दिनांक 05.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया गया है जो वादीगण के हितों की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.19 09:59:30 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर